संख्या:68/2025/628पू0वि0नि0/35-1-2025/35-1099/32/2025

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
प्रयागराज।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक: 30.03.2025

विषय: वित्तीय वर्ष 2024-25 में संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वान्चल) निधि योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वान्चल) निधि योजनान्तर्गत जनपद-प्रयागराज में निम्नलिखित कार्यों की रू. **1204.84** लाख (रूपए बारह करोड़ चार लाख चौरासी हजार मात्र, जी0एस0टी0 सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. **602.26** लाख (रूपये छः करोड़ दो लाख छब्बीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों के लिये ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग कार्यदायी संस्था होगी:-

(लागत लाख रू. में)

	कार्य का नाम	**लम्बाई (मी.)**	**अनुमोदित लागत**	**अवमुक्त धनराशि**
1	ग्राम देहली भगेसर में पक्की सड़क से लाल बहादुर अवस्थी के घर तक इण्टरलांकिंग का कार्य।	130	7.39	3.69
2	ग्राम पंचायत डीहा में मनपूरन नाथ मन्दिर के चारो तरफ इण्टरलाकिंग का कार्य।	78	11.09	5.54
3	ग्राम महेवा ता० भुण्डा में प्रधानमंत्री सड़क से महेवा घाट तक मार्ग निर्माण का कार्य।	160	11.19	5.59
4	ग्राम डाभी मार्ग से राजाराम पाल के घर तक भुण्डा भुआलपुर में मार्ग निर्माण कार्य।	250	15.97	7.98
5	ग्राम अन्तहिया में वीरपुर सम्पर्क मार्ग से रणजीत सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण का कार्य।	200	12.16	6.08
6	ग्राम सभा पुरैनी हासिमपुर में डेबा लाल पटेल के खेत से रमेश पटेल के घर तक मार्ग निर्माण का कार्य।	200	12.13	6.06
7	ग्राम पिपरांव में आदिवासी बस्ती से काली सडक तक पक्की सड़क मार्ग निर्माण का कार्य।	220	12.54	6.27
8	ग्राम सभा कबरा रवनिका के रवनिका पाल बस्ती में डा० लाल जी पाल के घर के पीछे काली रोड से काली रोड़ तक सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य।	230	14.77	7.38
9	ग्राम चौकठा में शिवचन्द्र पाल के घर के पास सरकारी नाली तक नाली निर्माण कार्य।	400	11.27	5.63
10	ग्रामसभा मछहर उर्फ पुरवा में प्राथमिक विद्यालय से घनश्याम सिंह के घर तक सी०सी० मार्ग का निर्माण कार्य।	230	16.88	8.44
11	ग्राम सभा बडगोहना खुर्द में नन्द लाल पटेल के घर से गुण्डा पटेल के घर तक इण्टरलांकिग का कार्य।	200	11.96	5.98
12	वि०ख० जसरा के ग्राम पंचायत सड़वा खुर्द की दलित बस्ती में रीवा	390	22.81	11.40

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	कार्य का नाम	लम्बाई (मी.)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
	रोड से कल्लू के घर तक मार्ग एवं नाली निर्माण का कार्य।			
13	वि०ख० कौंधियारा के ग्राम पंचायत ढोढरी में देवी लाल बिन्द के घर से लेकर यज्ञनारायण चौधरी के घर तक मार्ग निर्माण का कार्य।	650	37.90	18.95
14	वि०ख० शंकरगढ़ के ग्राम चुन्दवा रानीगंज में बस्ती के अन्दर आरसीसी रोड व नाली निर्माण कार्य।	709	69.65	34.82
15	वि०ख० जसरा के ग्राम पंचायत परवेजाबाद में दलित बस्ती छेदी आदिवासी के घर से राघवेन्द्र सिंह के घर होते हुए राम कैलाश विश्वकर्मा के घर तक मार्ग एवं नाली निर्माण का कार्य।	218	13.43	6.71
16	ग्राम अमिलिया कलां, ब्लॉक उरुवा, तहसील मेजा, प्रयागराज में मोहन लाल के मकान से विनय मिश्रा के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य।	70	7.13	3.56
17	ग्राम परानीपुर, ब्लॉक उरुवा, तहसील मेजा, प्रयागराज में कंजहान मोहल मार्ग झारखण्ड के मकान से राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य।	500	30.84	15.42
18	ग्राम केचुहा, ब्लॉक करछना, तहसील करछना, प्रयागराज में मुख्य मार्ग काली रोड से धारा सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य।	215	14.36	7.18
19	ग्राम सम्हई, ब्लॉक श्रृंग्वेरपुर, तहसील सोरांव, प्रयागराज में मुख्य सड़क से सुजीत कुमार शुक्ला के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य।	150	10.30	5.15
20	ग्राम पुरुषोत्तमपुर उर्फ गारापुर, ब्लॉक बहरिया, तहसील फूलपुर, प्रयागराज में तकिया रामबाबू केशरवानी के मकान से चन्द्रपाल के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य।	300	22.41	11.20
21	ग्राम पुरुषोत्तमपुर उर्फ गारापुर, ब्लॉक बहरिया, तहसील फूलपुर, प्रयागराज में गंगाराम केसरवानी के मकान से डॉ० पी०ए० तिवारी के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य।	150	11.77	5.88
22	ग्राम सुदनीपुर खुर्द, ब्लॉक बहादुरपुर, तहसील फूलपुर, प्रयागराज में हनुमान मंदिर से शंकर जी के मंदिर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	180	12.15	6.07
23	ग्राम नौवा, ब्लॉक व तहसील करछना, प्रयागराज में आशू सिंह के मकान से बबलू केशरवानी के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य।	150	10.36	5.18
24	ग्राम पंचायत साथर, ब्लॉक प्रतापपुर, तहसील हण्डिया, प्रयागराज के मौजा चक्कठार गाँव में पक्की सड़क से पिन्टू श्रीवास्तव के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य।	150	9.35	4.67
25	कौवा-धधुंवा मार्ग पर स्थित ग्राम पीड़ी राम का पूरा, तहसील करछना, प्रयागराज में कौवा-धधुंवा मार्ग से ग्राम के पश्चिमी छोर की तरफ इण्टरलाकिंग कार्य।	265	17.03	8.51
26	ग्राम पुरे रबारी संपर्क मार्ग से कमलहा संपर्क मार्ग तक सडक निर्माण कार्य	1000	47.80	23.90
27	ग्राम पंचायत घीनपुर के मौजा रजवापुर में श्री जमाल के घर से इमामवाडा होते हुए श्री राम बिन्द के घर तक इण्टर लाकिंग निर्माण कार्य	250	14.41	7.20
28	मऊआइमा ग्राम पंचायत रामनगर गनसियारी में प्रयागराज अयोध्या हाईवे से चौरासिया के घर की ओर इण्टर लाकिंग निर्माण कार्य	300	19.66	9.83
29	ग्राम पंचायत डीहा हाईवे रोड से श्रीमती सीता पति पूर्व प्रधान के घर के आगे तक इण्टर लाकिंग व नाली निर्माण कार्य	200	13.49	6.74
30	ग्राम पंचायत-दुडिहार बदल का पुरा उरुवा ब्लाक में प्राथमिक विद्यालय से नन्दलाल पटेल के घर से होते हुये कमलेश विश्वकर्मा के घर तक	200	11.07	5.53

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	कार्य का नाम	लम्बाई (मी.)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
	इन्टर लाकिंग।			
31	ग्राम पंचायत-डेलौहा ब्लाक मेजा में अनन्ते पटेल घर से रंगबाहादुर यादव के घर तक इन्टर लाकिंग।	200	11.26	5.63
32	ग्राम पंचायत-मदरा मुकुन्दपुर के मजरा अरई ब्लाक उरुवा में राम मिलन के घर से प्रशांत के घर तक इन्टर लाकिंग।	150	6.90	3.45
33	ग्राम पंचायत ऊटी ब्लाक मांडा में राजमणी के घर से बृजनारायण के घर तक इन्टर लाकिंग।	150	8.14	4.07
34	ग्राम पंचायत बेला ब्लाक मांडा में प्रजापति बस्ती में श्यामलाल के घर से बृजलाल के घर तक इन्टर लाकिंग।	200	11.28	5.64
35	विकास खण्ड-धनूपुर के ग्राम सभा भूषलपुर तिराहे से संसारीपुर बिन्द बस्ती तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	900	54.43	27.21
36	उमरिया बादल उर्फ गैदा कल्याणपुर मार्ग से बाबा कोटेदार का मकान होते हुए पण्डित का पूरा दलित बस्ती तक इण्टरलाकिंग/पेटिग का कार्य।	600	28.94	14.47
37	ग्राम पंचायत लखनपुर कान्दू वि0ख0 सोरांव आरआरसी सेंटर (कूड़ा केन्द्र) नाला के पुल तक सड़क निर्माण कार्य।	750	35.34	17.67
38	ग्राम पंचायत लालू डीह हाइवे सर्विस रोड से गांव तक नाली निर्माण कार्य।	680	32.83	16.41
39	कल्याणपुर मार्ग पर बैंक से पावर हाउस तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	600	31.52	15.76
40	ग्राम पंचायत अकोढ़ी अचलुपुर बहादुरपुर सम्पर्क मार्ग पुल से गांव तक इन्टरलाकिंग कार्य।	210	14.13	7.06
41	वि०ख० हण्डिया के ग्राम जसवाँ (चितवानपुर) में सुभाष चन्द्र कनौजिया के चक मार्ग से संगम लाल कनौजिया के चक मार्ग तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	100	7.77	3.88
42	वि०ख० बहरिया के ग्राम सरायदत्ते में विजय पटेल प्रधान के घर से रामसिंह के तलाब तक नाली निर्माण कार्य।	350	16.21	8.10
43	वि०ख० मऊआइमा के ग्राम पंचायत छीमीताल नई बस्ती से राजेन्द्र यादव के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	250	14.40	7.20
44	वि०ख० सोरांव के ग्राम राजापुर मल्हुआ में प्रकाश नारायण पाण्डेय के घर से प्राइमरी स्कूल तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	250	16.86	8.43
45	वि०ख० मऊआइमा के ग्राम पंचायत धरौता में प्राथमिक विद्यालय से जय प्रकाश पटेल के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	125	8.98	4.49
46	वि०ख० ग्राम मऊआइमा में पी.डब्लू.डी. रोड से कुमार पब्लिक स्कूल तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	100	7.42	3.71
47	वि०ख० ग्राम मऊआइमा में सीसी रोड से भारत लाल यादव के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	100	7.14	3.57
48	वि०ख० सोरांव के ग्राम सभा शिवगढ में मुन्ना केसरवानी के घर से होते सदाशिव के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	100	7.70	3.85
49	वि०ख० सोरांव के ग्राम सभा दांदूपुर में सत्य प्रकाश मौर्या के मकान से अवधेश मौर्या के मकान होते हुए समय लाल मौर्या के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	200	13.93	6.96
50	वि०ख० मऊआइमा के ग्राम सभा घीनपुर में रामसजीवन विश्वकर्मा के घर से रामचन्द्र के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	100	7.40	3.70

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	कार्य का नाम	लम्बाई (मी.)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
51	वि०ख० बहरिया के ग्राम पंचायत चकश्याम उर्फ पूरे हिन्नला में गौशाला से नाला तक नाली निर्माण कार्य।	250	12.57	6.28
52	वि०स० बहरिया के ग्राम सिसई सिपाह के सिसई सिपाह सम्पर्क मार्ग से राममिलन के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	100	7.33	3.66
53	वि०स० बहरिया के ग्राम पंचाय सरांयसुल्तानपुर उर्फ मखदुम में सीसी रोड से जिया लाल के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	125	8.60	4.30
54	वि०ख० होलागढ़ के ग्राम पंचायत मालापुर में मोहित शुक्ला के घर से संजू शुक्ला के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	100	8.16	4.08
55	ग्रामसभा बारो में काली सड़क से शिव भारतीया के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	300	22.12	11.06
56	ग्रामसभा इनायतपुर में रामसजीवन के घर से लेकर केवट बस्ती की ओर इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	170	12.89	6.44
57	ग्रामसभा ककरा उपरहार में विद्याधर मास्टर के घर से होते हुए शुक्लान बस्ती भल्ला शुक्ला के घर की ओर इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	300	20.70	10.35
58	ग्रामसभा कोटवा में मुन्नी लाल पाल के घर से शंकर लाल पाल के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	180	9.17	4.58
59	ग्रामसभा जमुनीपुर में लिंक मार्ग बेलवार रोड भोले तिवारी के सरहद से प्रा०वि० जमुनीपुर के मुख्य गेट तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	255	12.28	6.14
60	ग्रामसभा मण्डौर में मुख्य मार्ग से विक्रम सिंह पटेल की बस्ती तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	234	11.93	5.96
61	ग्रामसभा बजहॉ में डा० राम नायक बिंद के घर के बगल से होकर जालिम बिंद, रामबिंद के घर की ओर सी0सी0 निर्माण कार्य।	430	27.15	13.57
62	ग्रामसभा रिठैया में अमरनाथ भारतीया के घर से किशन भारतीया के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	74	3.28	1.64
63	वार्ड नं0-45, छतनाग नैका स्थित संतोष मौर्य के घर से लेकर गीता गिरि के मकान की ओर इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	320	26.67	13.33
64	मोहल्ले राजापुर/गंगानगर नेवादा /ओम नगर राजापुर में राजापुर ढ़ाल के नीचे जुगनू स्क्रीन एवं छोटी मन्दिर से होते हुए स्व० जंग बहादुर सांसद के निवास से होते हुए राजापुर तिराहे मुख्य मार्ग तक सीसी रोड़ व दोनो तरफ नाली निर्माण कार्य एवं गंगानगर नेवादा वार्ड नं 07 गली नं0 11ए में अधिवक्ता प्रदीप जैसवार की रोड़ व नाली का नवनिर्माण कार्य एवं ओम नगर राजापुर में शिव दुर्गा मंदिर से फूलचन्द्र भारतीय के घर तक सी०सी० रोड व दोनो तरफ नाली का कार्य। अनुमानित लम्बाई 700 मी0	725	61.38	30.69
65	मोहल्ले बेली कालोनी में शिव मन्दिर मार्ग पर बकरिदी के घर से उमा गुप्ता व कृष्णानन्द मिश्र के घर होते हुए श्रीमती शैलेश पाण्डेय के घर तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य एवं बेली कॉलोनी में शिव मदिर मार्ग पर मुकेश जनरल स्टोर से रामचन्द्रा यादव के घर होते हुए विवेक पांडे के घर तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य एवं बेली कॉलोनी में शिव मन्दिर मार्ग पर सूर्यकेश पाण्डेय के घर से गुरू प्रसाद मिश्रा के घर तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य एवं बेली कॉलोनी में शिव मन्दिर मार्ग पर नईम अहमद के घर से धर्मेन्द्र गुप्ता के घर तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य एवं बेली कॉलोनी में शिव मन्दिर मार्ग पर मो० इरशाद के घर से संजीदा बानो के होते हुए डॉ०	1300	84.76	42.38

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	कार्य का नाम	लम्बाई (मी.)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
	निसार के घर तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य एवं बेली कॉलोनी में शिव मन्दिर मार्ग पर डॉ० फरीद के घर से मो० सज्जाक के घर तक इण्टरलॉकिंग व बॉक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य एवं बेली कॉलोनी में शिव मन्दिर मार्ग पर मदीना मस्जिद के पास मो० निसार के घर से अमजद के घर तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य एवं बेली कॉलोनी में शिव मन्दिर मार्ग पर बागेश द्विवेदी के घर व रेखा शर्मा व गौतम कनौजिया व रमेश त्रिपाठी के घर होते हुए नरसिंह के घर तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य।			
	महायोग:	**19323**	**1204.84**	**602.26**

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
3. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।
4. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. परियोजना की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना हेतु जनपद स्तर पर कार्यकारी आदेश निर्गत करने जिसे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
6. कार्य का निर्माण,लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
7. परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जायेगा। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायेंगी, ताकि कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।
8. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों से सम्बन्धित सामग्री की लागत प्रायोजना में उपभोग (CONSUMED) की गयी सामग्री यथा-सीमेन्ट, स्टील इत्यादि की मात्राओं का अनुपातिक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 भुगतान किया जाये।
9. कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
10. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों,समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
11. संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वान्चल/बुन्देलखण्ड) निधि योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-1337/35-5-2002-8/74/2000-170 दिनांक 19 सितम्बर, 2002 एवं संशोधत मार्गदर्शी सिद्धान्तों

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

से संबंधित शासनादेश संख्या-11/2022/1115/717/35-1-2022 35-4-2018 दिनांक 09 नवम्बर, 2022 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे।
13. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या-1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
14. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
15. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
16. परियोजनाओं के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
17. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
18. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दिनांक 31 मार्च,2025 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे दिनांक 31 मार्च, 2025 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा नियोजन अनुभाग-1 को दिनांक 31 मार्च, 2025 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
19. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2025 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।
20. कार्य स्थल पर संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वान्चल) निधि योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
21. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।
22. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।
23. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
24. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।
25. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वान्चल) निधि योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
26. प्रश्नगत कार्य के लिये नियमानुसार 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्तधनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

2- उक्त कार्यों पर होने वाला व्यय रू0 रू. **6,02,26,000/-** (रूपये छ: करोड़ दो लाख छब्बीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 040 के **लेखाशीर्षक** 4575608000300 पूर्वांचल की विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

संख्या:68/2025/628पू0वि0नि0(1)/35-1-2025/35-1099/32/2025 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, प्रयागराज।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0।
9- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज।
10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
11- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन,नियोजन विभाग।
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, प्रयागराज।
13- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रयागराज।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।